सुरवीनेह बनाम मान्गी

180/12

तारीख हुक्म	
	आज्ञानुसार रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर
14.10.2019	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्ततु प्रार्थना पत्रो का निस्तारण दिनांक 05.02.2019 को किया जाकर वादीगण को संशोधित शीर्षक व प्रतिवादी वारिसान की तलबी पेश किये जाने के आदेश दिनांक 05.02.2019 को दिये गये थे। वादीगण के द्वारा 7 माह के उपरान्त भी मृतक वारिसान के नोटिस तलवाना तलबी हेतु प्रस्तुत नही किये गये है। इससे स्पष्ट है कि मात्र प्रमरण को लम्बित रखने की नियत से उक्त वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखा जा रहा है। तथा वादीगण/अभिभाषक के द्वारा वाद आज दिनांक तक शेष प्रतिवादीगण की तलबी ही समय समय पर प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण/अभिभाषक द्वारा न्यायालय के आदेशिका मे दिये गये आदेशो का पालन नही किया गया है तथा वादीगण/अभिभाषक अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही है। वादीगण का वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की पालना नही किये जाने से वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत अदम पालना मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु) सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner